तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/2/25	पेशकार सरकार उपस्थित। रेफरेंस पर सुना गया। राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश की पालना में मूल पत्रावली आयुक्त, भू-प्रबंध विभाग, कोटा को भिजवाई जानी अपेक्षित है। अतः पत्रावली फैसले में शुमार होकर नम्बर से कम हो। मूल पत्रावली आयुक्त भू-प्रबन्ध विभाग कोटा को भेजी जावे। (हस्ताक्षर) जिला कलेक्टर, बून्दी	

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक–   /रीडर/2025   दिनांक–   .02.2025

निमित्त,

आयुक्त,
भू प्रबन्ध विभाग, कोटा

विषयः–मि.सं. 01/प्रा.पत्र/19 निर्णय दिनांक 17.02.25 बउनवान सरकार जर्ये तहसीलदार बून्दी बनाम महावीर पि. देवीलाल, रामचन्द्र पि. सूरजमल जाति ब्राहमण वगे.राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना में मूल पत्रावली अग्रिम कार्यवाही भिजवाये जाने।

विषयान्तर्गत मामले में निवेदन है कि तहसीलदार बून्दी द्वारा रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 बउनवान सरकार बनाम महावीर वगै. इस न्यायालय को भिजवाये जाने पर प्रकरण संख्या 225/2010 बउनवान सरकार बनाम महावीर वगै. में अप्रार्थीगण को तलब किया जाकर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 28.03.2012 से रेफरेंस प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को अग्रेषित किया गया। राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2018 से उक्त रेफरेंस प्रस्तुत करने का क्षेत्राधिकार आयुक्त, भू–प्रबन्ध विभाग को होना मानते हुये प्रकरण इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर आयुक्त, भू प्रबन्ध विभाग को प्रेषित किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के उक्त आदेश दिनांक 20.03.2018 की पालना में प्रकरण यहां संस्थित कर पक्षकारान को सुनवाई हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बाद सुनवाई हस्तगत रेफरेंस प्रकरण संख्या 1/2019 बउनवान सरकार बनाम महावीर वगै. माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही आपको भिजवाया जा रहा है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

जिला कलक्टर, बून्दी

राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर

A 6/1

क्रमांक:राम/न्याय/रेफ/एलआर/ **2012/3928** / **बून्दी** दिनांक :

निर्णय दिनांक: ~~**26/02/2018**~~ 20-3-18

प्रेषक :
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर।

9428 [redacted] 16 AUG 2018

प्रेषिती : जिला ~~कलेक्टर~~/अति. ~~जिला~~ कलेक्टर , जिला **बून्दी**

Reader to DC
27/8

विषय : सरकार

बनाम

3803
27.8.18

महावीर पुत्र देवीलाल जाति ब्राह्मण निवासी गुंवार
तहसील व जिला बूंदी

रेफरेंस विरूद्ध निर्णय : जिला ~~कलेक्टर~~/अति. ~~जिला~~ कलेक्टर **बून्दी**

दिनांक : 28-3-12

उपरोक्त विषय में इस न्यायलय द्वारा निर्णय लिये जाने पर आपके न्यायलय की पत्रावली संख्या 225/10 एवं इस न्यायलय के निर्णय की प्रतिलिपि संलग्न कर पालनार्थ प्रेषित है।

कृप्या प्राप्ति कर रसीद भिजवाये।

संलग्न पत्रावली संख्या : एक [225/10]पेज संख्या - 29

निर्णय प्रति : एक दिनांक : ~~**26/02/2018**~~ 20-3-18

निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

16 AUG 2018

क्रमांक: राम/न्याय/सम/
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. तहसीलदार : **बून्दी** जिला : **बून्दी**

02. संलग्न : निर्णय प्रति एक दिनांक : ~~**26/02/2018**~~ 20-3-18

sd/-
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान
अजमेर

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

राजकीय प्रयोजनार्थ

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रेफरेन्स/एल.आर./3928/2012/बून्दी सरकार बनाम महावीर	
..03.18	एकलपीठ **श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य** उपस्थित– श्री लोकेन्द्र सिंह, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही **निर्णय** यह रेफरेन्स जिला कलक्टर, बून्दी ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 28-03-2012 से राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, बून्दी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गुंवार स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 465/1 जमाबन्दी सम्वत् 2000 से 2028 में किस्म गैर मुमकिन तालाब दर्ज थी। उक्त आराजी के वर्तमान खसरा नम्बर 643रकबा 17बिस्वा कायम किये एवं भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त आराजी अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कर दी, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 28-03-2012 से विवादित आराजी को सिवाय चक राजकीय खाते में गैर मुमकिन तालाब दर्ज कराने हेतु यह रेफरेन्स मण्डल में प्रेषित किया गया है। हमने योग्य उप राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी कृषि अयोग्य गैर मुमकिन तालाब के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी, जिस पर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार देना कानून में वर्जित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा	

सत्य प्रतिलिपि
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

COMPARED BY

राज. राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

राजकीय प्रयोजनार्थ

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रेफरेन्स/एल.आर./3928/2012/बून्दी सरकार बनाम महावीर	

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 में पारित निर्णय दिनांक 2-8-04 की पालना में इस प्रकार दर्ज की गई खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने योग्य उप राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम गुंवार स्थित आराजी साबिक खसरा नम्बर 465/1 जमाबन्दी सम्वत् 2000 से 2028 में किस्म गैर मुमकिन तालाब दर्ज थी। उक्त आराजी के वर्तमान खसरा नम्बर 643 रकबा 17बिस्वा कायम कर भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त आराजी अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कर दी। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में जिला कलक्टर ने रेफरेन्स के माध्यम से भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राज परिवर्तन को निरस्त कराने का अनुतोष चाहा है। प्रावधित प्रावधानों के अनुसार भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड में किये गये परिवर्तन को निरस्त कराने बाबत् रेफरेन्स प्रस्तुत करने का क्षेत्राधिकार आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग को है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स संधारण योग्य नहीं होने से प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः रेफरेन्स प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड में किये गये परिवर्तन बाबत् प्रकरण संस्थित कर आयुक्त, भू-प्रबन्ध विभाग को नियमानुसार प्रेषित किया जावे।

निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज नियमानुसार अभिलेखागार में भिजवाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/03/2018

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

सत्य प्रतिलिपि

COMPARED BY